23/12/24

पत्रावली पेश हुई। अन्य पक्ष उप. नहीं आये। पत्र
प्रार्थी स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय
अलग से लिखकर शामिल किया गया नंबर
से कट हो

निर्णय सुना दिया गया।

GCMS
2024/662

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.27 17:39:51 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

गोपाल आदि बनाम किरसन व अन्य

किस्म मुकदमाः– 212 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्याः–288/2023 (GCMS No. 2024/662)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.12.2024	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 3 ता 9 के नाम से वाके चक 1 बीएमएम तहसील सूरतगढ़ के खाता संख्या 101/73 के पत्थर नं. 217/16 (43) के किला नं. 1/1 ता 10/2 में 2.530 हैक्टर कमाण्ड मय खाला, पत्थर नं. 217/23 (26) के किला नं. 16 ता 18, 23–24 की 1.265 हैक्टर कमाण्ड, प0न0 217/24 (42) के किला नं. 1 ता 3, 9–10–12 की 1.518 हैक्टर कमाण्ड, पत्थर नं. 217/31 (27) के किला नं. 11–12–19–20 की 1.012 हैक्टर कमाण्ड कुल 6.325 हैक्टर कमाण्ड/अ0क0 मय खाला आ0का0 1955 से पूर्व भूमि दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 3 ता 9 को आवंटन हुई थी। आवंटन से लेकर लगातार जहां पटवारी ने कब्जा सम्भलवाया था, वही काबिज होकर काश्त करते आ रहें है। अप्रार्थी संख्या 1–2 की भूमि अप्रार्थीगण के रकबा के चिपती हुई है। अप्रार्थी संख्या 1–2 चतुर व चालाक व्यक्ति है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 ता 9 ने उक्त जैरवाद रकबा पर काफी वर्षो से आर्थिक व पारिश्रमिक के द्वारा उच्चे निचे टिब्बों एवं असमतल भूमि को कृषि के लिए उपयुक्त बनाया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 जबरन जैरवाद भूमि पर कब्जा करने की फिराक में है। यदि वे अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 3 ता 9 को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1–2 को वाद पत्र के निर्णय तक पाबन्द किया जावे कि वे जैरवाद भूमि में ना तो स्वयं दखलदांजी करें व ना ही ही किसी अन्य से करावें। वकील अप्रार्थी संख्या 1–2 ने जवाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया गया कि प्राथीगण की भूमि चक 1 बीएमएम के खाता संख्या 101/73 में कुल 6.325 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 3 ता 9 के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण ने बदयान्ती से अप्रार्थी संख्या 1–2 की भूमि पत्थर नं. 217/15 के किला नं. 21 ता 25 में अतिक्रमण की चेष्टा से ही वाद दायर कर स्थगन की प्रार्थना पत्र की जा रही है। प्रार्थीगण का रकबा पत्थर नं. 217/16 में 1/1 से 10/2 में 2.530 हैक्टर कमाण्ड है। इससे अधिक अतिक्रमण कर वे अप्रार्थी संख्या 1–2 की खातेदारी मुस्तरका खाता के पत्थर नं. 217/15 के किला नं. 21 ता 25 में स्थगन की आड़ में अपना अतिक्रमण बचाना चाहते हैं। प्रार्थीगण स्थगन की आड़ में अपने अंकित खातेदारी से अधिक रकबा पर कानूनी कब्जा का रूप देना चाहते है। पूर्व में की गई नपवाई में अतिक्रमण स्पष्ट है। अतिक्रमी को स्थगन प्राप्त करने कतई अधिकारी नही है। प्रार्थीगण का प्राथमिक रूप से मामला नही बनता है। सुविधा का सन्तुलन उनके पक्ष में नही है। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण निरस्त किया जावे। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 3 ता 9 के नाम से वाके चक 1 बीएमएम तहसील सूरतगढ़ के खाता संख्या 101/73 के पत्थर नं. 217/16 (43) के किला नं. 1/1 ता 10/2 में 2.530 हैक्टर कमाण्ड मय खाला, पत्थर नं. 217/23 (26) के किला नं. 16 ता 18, 23–24 की 1.265 हैक्टर कमाण्ड, प0न0 217/24 (42) के किला नं. 1 ता 3, 9–10–12 की 1.518 हैक्टर कमाण्ड, पत्थर नं. 217/31 (27) के किला नं. 11–12–19–20 की 1.012 हैक्टर कमाण्ड कुल 6.325 हैक्टर कमाण्ड/अ0क0 मय खाला भूमि दर्ज रिकार्ड है। राजस्व रिकार्ड में अंकित काश्तकार के रकबा में दखलदांजी करने से प्रतिबंधित करना आवश्यक प्रतीत होती है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को आदेश किया जाता है कि वे वाद पत्र के निर्णय तक जैरवाद भूमि में ना तो स्वयं दखलदांजी करें व ना ही अन्य किसी से करवायें। उक्त स्थगन आदेश रास्ता एवं खाला की भूमि पर लागू नही होगा। पत्रावली फैसल शुमार बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सन्दीप कुमार) उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar

Date: 2024.12.27 17:39:51 IST

Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)